न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 42/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सोनाराम बनाम ताजाराम जाति जाट निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 तहसीलदार खींवसर जिला नागौर। 2 पुनाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 15.04.2025

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा मौजा गुलासर से संबंधित आदेश क्रमांक राजस्व/2024 /1022 दिनांक 16.08.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.09.24 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 23.09.24 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार खींवसर के आदेश दिनांक 16.08.24 की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील विधिविरूद्व अनुचित, बिना नोटिस दिये, बिना जवाब पेश करने का अवसर दिये गैर कानूनी रूप से पारित किया है जो अपील क्षेत्राधिकार के जरिये खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)– तहसीलदार खींवसर द्वारा खसरा नम्बर 54, 394, 1889/393 एवं तथाकथित खसरा नम्बर 15/1611 की सीमाओं का अपीलांट की मौजुदगी में जांच किये बिना तथा अपीलांट का कितनी भूमि पर अतिक्रमण है नोटिस के जरिये सूचित किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है।

{2}(III)–अपील अपीलांट की परिस्थितियों में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। तहसीलदार खींवसर के आदेश के पश्चात दिनांक 21.08.2024 को पुलिस व अन्य कर्मचारी एवं पटवारी ने मौके पर रास्ते की सीमाओं के भू माप कर अपीलांट को बताये बिना ही अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 59 में बोई हुई मुंगफली व कपास की फसल को दक्षिणी तरफ सीमा पर करीब 20,000 रूपये की फसल का नुकसान कर दिया तब अपीलांट ने तहसील कार्यालय में जाकर जानकारी की एवं नकल आदेश प्राप्त की एवं आदेश दिनांक 16.08.24 के विरूद्व अंदर मियाद अपील पेश की।

{3}–रेस्पोडेंट संख्या 01 राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा गुलासर की रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर उक्त कार्यवाही की है, जो सही एवं उचित होने से तहसीलदार खींवसर द्वारा पारित आदेश यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने राजकीय अभिभाषक की बहस का समर्थन किया।

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा मौजा गुलासर से संबंधित आदेश क्रमांक राजस्व/2024 /1022 दिनांक 16.08.2024 से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलांट द्वारा उक्त रास्ते पर अतिक्रमण किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/4/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर